

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा- I) का कार्यालय, ओडिशा, भुवनेश्वर OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I) ODISHA, BHUBANESWAR

OOC No:202

Date:06.06.2025

श्रीमती बंदना बावी के अनुरोध तथा वचनबद्धता पर विचार करते हुए, उप महालेखाकार (प्रशा सह संपदा अधिकारी) उनके पक्ष में नीचे उल्लिखित नियम एवं शर्तों के आधार पर सरकारी आवास के आबंटन हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान की हैं:-

In consideration with the request along with undertaking, Sr. DAG (Admin)-Cum-Estate Officer is pleased to offer the allotment of Govt. quarter in favour of Smt. Bandana Bavi on the basis of terms and conditions as mentioned below:-

SI No.	Name, Designation & Office	Quarter allotted	Name of the Colony	HLF(House Licence Fee) and WC (water Charge) per month
1.	Smt. Bandana Bavi , Primary Teacher, PM Shri Kendriya Vidyalaya No.1, Bhubaneswar	Type-H/115	Old AG Colony, Unit- IV, Bhubaneswar, 751001	HLF @ 440 WC @140/-

आवंटी को 8 दिनों के भीतर संलग्न प्रपत्र में लिखित रूप में आवंटन की अपनी बिना शर्त स्वीकृति की सूचना देनी होगी और आवंटन पत्र प्राप्त होने की तारीख से 5 दिनों के भीतर कब्जा करना होगा, ऐसा न करने पर आवंटन रद्द कर दिया जाएगा और वह एजी के पूल से दूसरे आवंटन के लिए पात्र नहीं होगा।

The Allottee must communicate her unconditional acceptance of the allotment in writing in the enclosed form within 8 days and take occupation within 5 days from the date of receipt of the letter of allotment failing which the allotment would stand cancelled and she shall not be eligible for another allotment from AG's pool.

एक बार आवंटन स्वीकार कर लिया जाता है, किराए की देयता कब्जे की तारीख से या आवंटन आदेश की स्वीकृति की तारीख से 8 वें दिन, जो भी पहले हो, शुरू हो जाएगी। आवंटी को एस्टेट सेल के अधिकृत डीलिंग असिस्टेंट द्वारा विधिवत प्रति हस्ताक्षरित व्यवसाय/अवकाश रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।

Once the allotment is accepted, the, liability of rent shall commence from the date of occupation or the 8th day from the date of acceptance of the allotment order whichever is earlier. The Allottee should furnish the occupation/vacation report duly countersigned by the authorized dealing assistant of Estate Cell.

आवंटन के नियम और शर्तें

Terms & Condition of Allotment

- 1. क्वार्टरों का आवंटन सामान्य लाइसेंस शुल्क और जल प्रभारों के भुगतान के अध्यधीन है। The allotment of quarter is subject to payment of normal Licence Fee and water charges.
- 2. एस्टेट ऑफिसर द्वारा आवश्यकता पड़ने पर एक महीने के नोटिस के साथ आवंटियों द्वारा क्वार्टर खाली किए जाएंगे। क्वार्टर की अनुमति प्रारंभिक दो वर्षों की अविध के लिए दी जा सकती है, तथा प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है।

The quarter will be vacated by the allottee with a months's notice as and when required by the Estate Officer. The quarter may be allowed for initial period of two years, may be renewed further in each two-year interval.

3. प्राधिकारी (यहां यह नियोक्ता को संदर्भित करता है) को समय-समय पर लागू उनके नामों के सामने उपरोक्त तालिका में उल्लिखित अनुसार हर महीने एचएलएफ और डब्ल्यूसी की वसूली करनी होगी और वेतन और लेखा अधिकारी, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ओडिशा, भुवनेश्वर के पक्ष में आहरित खाता आदाता चेक के माध्यम से महीनेवार जमा करना होगा, जिसमें केंद्रीय खाता शीर्ष संख्या 0216 (एचएलएफ) और 0215 (डब्ल्यूसी) में जमा करने के लिए वसूली अनुसूची का विवरण होगा और विवरण की प्रतिलिपि उप महालेखाकार (प्रशासन)-सह-संपदा अधिकारी, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा-I), ओडिशा, भुवनेश्वर के कार्यालय में रिकॉर्ड

के लिए पृष्ठांकित की जानी चाहिए। एचएलएफ और डब्ल्यूसी की दरें प्रति माह निम्नानुसार हैं जिन्हें शहरी विकास विभाग मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार समय-समय पर संशोधित किया जाएगा। यदि एचएलएफ एंड डब्ल्यूसी तीन महीने से अधिक समय तक बकाया रहता है तो क्वार्टरों का आवंटन रद्द माना जाएगा। सेवानिवृत्ति/स्थानांतरंण आदि के समय संपदा अधिकारी से अदेयता प्रमाणपत्र (एनडीसी) मांगा जा सकता है। The Authority (herein it refers to the employer) has to recover HLF and WC every month as mentioned in the above table against her name as applicable from time to time and deposit month wise by means of A/c payee cheque, drawn in favour of the pay and Accounts Officer, O/o the Pr. AG(A&E), Odisha, Bhubaneswar with details of recovery schedule for crediting to the central Head of A/C No.0216 (HLF) and 0215(WC) and copy of the particulars should be endorsed to the DAG(Admn)-Cum-Estate Officer, O/o the Pr. AG(Audit-I), Odisha, Bhubaneswar for record. The rates of HLF & WC per month are as under which would be revised from time to time as per the notification of Ministry of Urban Development Department. The allotment of quarters will be deemed to be cancelled if HLF&WC will remain outstanding for more than three months. No Dues Certificate (NDC) may be sought for from the Estate Officer at the time of retirement /transfer etc.

5. विभाग के विभागाध्यक्ष को ऐसे कर्मचारियों के अन्य स्थानों पर स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति के मामले में तुरन्त इस कार्यालय को सूचित करना चाहिए।

The HOD of the department should intimate this office instantly in case of transfer, retirement of such

employees to other stations.

6. क्वार्टरों का आवंटन आईए एंड एडी आवंटन नियम, 2021 और एमएसओ एस्टेट, 2021 के प्रावधान के अधीन है, क्वार्टरों के परिसर में कोई भी सबलेटिंग/शेयरिंग/अनधिकृत कब्जा/निर्माण प्रतिबंधित है। The Allotment of quarters is subject to provision of Allotment of Govt residences (IA&AD) Rule, 2021& MSO Estate, 2021. Any subletting/ Sharing/ Unauthorized occupation/construction of unauthorized structures in the premises of the quarters is strictly prohibited.

7. आबंटिती के प्राधिकारी /संपदा अधिकारी या इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी आबंटिती की वास्तविकता का सत्यापन करने, सबलेटिंग/शेयरिंग/अनधिकृत निर्माण आदि का पता लगाने के लिए किसी भी

समय क्वार्टरों का औचक निरीक्षण कर सकते हैं।

Concerned Authorities of allottees /Estate Officer or any other Officer authorized for the purpose may make a surprise inspection of the quarters at any time to verify the genuineness of the allottee, detect subletting/sharing/unauthorized construction etc.

8.आबंटिती दो पारिवारिक तस्वीरों (पोस्ट कार्ड आकार) के साथ परिवार के सदस्यों की सूची रिकॉर्ड के लिए एस्टेट

सेल में प्रस्त्त करेगा।

The Allottee may submit a list of family member with two family photographs (post card size) to Estate Cell for

9.आवंटी को अपने आवंटित क्वार्टर के लिए टीपी सेंट्रल ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीसीओडीएल) से बिजली कनेक्शन लेना है।

The allottee is to take electricity connection from the TP Central Odisha Distribution Limited (TPCODL) for herallotted quarter

> Sd/-Sr. Audit Officer/Estate

> > Date:06.06.2025

Memo No. EC/ Allot/SOCG/68/2025-26/203(06)

Copy forwarded for information & necessary action to:-. 1. OOC Guard File of Admn, O/o the Pr.AG (Audit-I), Bhubaneswar.

The Junior Enigineer/Electrical, C.P.W.D(EZ-V), Nirman Bhawan, Plot No.188/623 & 624 Pokhariput,

The Junior Engineer/ CPWD (Civil), Old AG Colony, Unit-IV, Bhubaneswar, 751001.

The Principal, PM Shri Kendriya Vidyalaya No.1, Bhubaneswar (2nd Shift), Unit-IX, Bhoi Nagar, BBSR, 751022.

Person(s) concerned. (01)

DA&RC Cell for uploading the document.

Asst. Audit Officer/Estate